FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा ________ नं. ________ सन् ________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-8-22	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 143/3 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा एवम् खसरा नं. 143 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा ग्राम समेडवरा खास में आवागमन हेतु खसरा नं. 146 रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा में से नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 146 की दक्षिणी सीमा से ~~गज~~ डामर रोड गुजर रहा होना बताया गया एवम् प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में दर्शाए	

[stamp] ... न्यायालय ... चौसा

अनुसार रास्ते का इस्तेमाल स्वयं के खसरे में आवागमन हेतु किया जाना बताया गया। प्रार्थी द्वारा इस अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 (एक) द्वारा जवाब में बताया गया कि प्रार्थीगण के खसरा में आवागमन हेतु खसरा सं. 143/1, 143, 142/1, 149/3, 142/3 में से होकर एक कच्चा रास्ता चालू है जिसका इस्तेमाल प्रार्थीगण द्वारा किया जाता रहा है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं के खसरा नं. 146 के दक्षिण में किसी प्रकार का रास्ता

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिकॉर्ड रास्ता नहीं होना बताया गया। अनापत्ति द्वारा स्वयं के खसरे में होकर प्रार्थी द्वारा दर्शाए अनुसार आवागमन किया जाना भी अस्वीकार किया गया। भू अभिलेख द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नं. 143/3, 143 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार समर्पण किया हुआ रास्ता 143/2, 149/2 एवम् 142/5 खसरा के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व नक्शे में बिन्दु C से J तक रास्ते का दर्शाया गया है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि	

नायब तहसीलदार

तारीख हुक्म

खसरा संख्या 146 को दक्षिणी सीमा से होकर डामर रोड गुजरती है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, मौका रिपोर्ट एवम् बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि -

1. प्रार्थी के पास राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो आवागमन हेतु इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

2- प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक ना होकर मात्र सुविधा के लिए है।

धारा 251A रा.का.का. में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की अत्यंत आवश्यकता एवम् वैकल्पिक रास्ते की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुपलब्धता प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु है जिनपर विचार करना आवश्यक है। प्रार्थी के द्वारा वर्णित बयान में मॉग किये गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता है जो खसरा रिकॉर्ड में भी दर्ज है एवम् आवागमन हेतु उपयोग भी लिया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज / अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाये।

24/8/22